भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2152
06.08.2026 को उत्तर के लिए

हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन का प्रभाव

2152. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना के हिमनदों के पीछे हटने, जलस्रोतों के सूखने और नदी के उद्गम स्थलों के संदूषण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हिमनद-संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं के लिए कितने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किए गए हैं और इनमें से कितनी परियोजनाएं पर्यावरणीय आधार पर अस्वीकृत की गई हैं; और

(ग) क्या हिमनद सीमाओं अथवा प्राथमिक जलस्रोतों से निर्धारित दूरी के भीतर नए निर्माण पर कोई अस्थायी रोक लागू है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) : जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई), अल्मोड़ा, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हिमनदों की प्रतिक्रिया स्थानिक रूप से विषम है और किसी एक पर्यावरणीय कारक के बजाय जलवायुजन्य प्रेरक कारकों, स्थलाकृति, हिमनद की ज्यामिति, हिमनद के मलबा आवरण तथा हिमनद–झील अंतःक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव द्वारा नियंत्रित होती है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 09.03.2022 के मूल आवेदन सं. 178/2022 के निदेशों के अनुपालन में जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान द्वारा "भारतीय हिमालयी

क्षेत्र में पर्यटन का पर्यावरणीय मूल्यांकन" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय घटकों पर पर्यटन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया, भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई समेकित कार्रवाई का विश्लेषण किया गया, कमियों की पहचान की गई और सतत पर्यटन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भावी कार्रवाई का सुझाव दिया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आईएचआर के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे हिमालयी राज्यों के पर्यावरण को क्षति से सुरक्षित रखने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का प्रभावी, उचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इस संबंध में एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.04.2026 को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई।

(ख) और (ग) : पर्यटन परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथासंशोधित, के प्रावधानों के अधीन नहीं आती हैं, क्योंकि पर्यटन परियोजनाएं, अपने आप में, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी या गतिविधि के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तदनुसार, पर्यटन परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावणीय मंज़ूरी की आवश्यकता तब तक नहीं है, जब तक कि इसमें कोई ऐसी परियोजना या गतिविधि शामिल न हो जो इसकी अनुसूची में शामिल है।

तथापि, पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठानों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा स्थापना की सहमति (सीटीई), संचालन की सहमति (सीटीओ), निगरानी, निरीक्षण तथा प्रवर्तन प्रणाली प्रदान करके जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
